अध्याय - 7

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने मनोरंजन शुल्क के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जांच के दौरान लिए गए प्रेक्षणों से चयनित ₹ 32.30 लाख के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है । इस अध्याय में हमने विद्युत शुल्क/शास्ति की कम वसूली/वसूली न होने से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जांच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 35 लाख की राशि के उदाहरणात्मक प्रकरणों को भी प्रस्तुत किया है । यह चिंता का विषय है कि विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस तरह की चूकों को हमारे द्वारा बार–बार इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
कर संग्रहण	वर्ष 2011–12 में विद्युत पर कर एवं शुल्क से प्राप्त संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 20.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों से लंबित बकाया राशि की प्राप्ति होना बताया गया ।
पूर्ववर्ती वर्षों में हमारे द्वारा इंगित प्रेक्षणों की स्थिति	वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 7,44,491 प्रकरणों में ₹ 1,963.31 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित विद्युत शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, अवनिर्धारण आदि को इंगित किया था । इनमें से विभाग/शासन ने ₹ 1,166.97 करोड़ के 74,071 प्रकरणों को स्वीकार किया तथा 191 प्रकरणों में ₹ 1,145.67 करोड़ वसूल किये । वर्ष 2009–10 में स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत 99.41 प्रतिशत था जबकि अन्य वर्षों में यह अत्यन्त कम शून्य से 15.67 प्रतिशत तक रहा ।

वर्ष 2011–12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011–12 के दौरान हमने मनोरंजन शुल्क से सम्बंधित 20 इकाईयों* के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा 993 प्रकरणों में ₹ 50 लाख की राजस्व हानि तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला । राज्य आबकारी विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान हमारे द्वारा इंगित 215 प्रकरणों में ₹ 32 लाख के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया । वर्ष 2011–12 के दौरान 33 प्रकरणों में ₹ 9 लाख की राशि वसूल की गई । हमने विद्युत पर कर एवं शुल्क से सम्बंधित सात इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा 3,94,942 प्रकरणों में ₹ 25.42 करोड़ के विद्युत शुल्क के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला। इनमें से विभाग ने 60 प्रकरणों में ₹ 21.30 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया
हमारा निष्कर्ष	विभाग ने हमारे द्वारा इंगित किये गये मनोरंजन शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण, निरीक्षण फीस की प्राप्ति न होने, शुल्क एवं शास्ति की वसूली न होने/कम वसूली के कारण राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जहाँ विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है।

* मनोरंजन शुल्क की लेखापरीक्षा जिला आबकारी कार्यालयों में की जाती है । लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या अध्याय 3 (राज्य उत्पाद शुल्क) में भी दर्शायी गयी है ।

अध्याय – 7
अन्य कर प्राप्तियाँ

क. मनोरंजन शुल्क

7.1 कर प्रशासन

मनोरंजन शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण को 31 मार्च 2011 तक राज्य आबकारी विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता था । आबकारी आयुक्त विभाग प्रमुख हैं जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय ग्वालियर तथा जिलों में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी उपायुक्त, सहायक आबकारी आयुक्त तथा जिला आबकारी अधिकारी होते हैं । जिलों में कलेक्टर आबकारी प्रशासन का प्रमुख होता है ।

एक अप्रैल 2011 से मनोरंजन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा किया जा रहा है ।

मनोरंजन शुल्क निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत जारी नियमों तथा अधिसूचनाओं के अंतर्गत किया जाता है :–

- मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936;
- मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर नियम, 1942;
- मध्य प्रदेश चलचित्र (विनियमन) नियम, 1952;
- मध्य प्रदेश चलचित्र विनियमन (विज्ञापित वैन) नियम, 1960;
- मध्य प्रदेश चलचित्र (विनियमन) नियम, 1972;
- मध्य प्रदेश चलचित्र (विडियों कैसेट रिकार्डर द्वारा फिल्मों का प्रदर्शन) अनुज्ञप्ति नियम, 1983; तथा
- मध्य प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियम, 1999

7.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान मनोरंजन शुल्क से सम्बंधित 20 इकाइयों[1] के अभिलेखों की नमूना जाँच में 993 प्रकरणों में ₹ 50 लाख की राजस्व हानि तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

---

[1] मनोरंजन शुल्क की लेखापरीक्षा जिला आबकारी कार्यालयों में की जाती है । लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या अध्याय 3 (राज्य उत्पाद शुल्क) में भी दर्शायी गयी है ।

(₹ लाख में)

क्र.स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वी.सी.आर. के संचालकों/केबल आपरेटरों द्वारा मनोरंजन शुल्क जमा न किया जाना/कम जमा किया जाना	124	4.00
2.	मनोरंजन शुल्क की प्राप्ति न होना	34	3.00
3.	टिकटों का लेखांकन न किये जाने के कारण मनोरंजन शुल्क का अपवंचन	31	1.00
4.	अन्य प्रेक्षण	804	42.00
योग		**993**	**50.00**

वर्ष 2011–12 के दौरान, विभाग ने 215 प्रकरणों में ₹ 32 लाख के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिन्हें वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। वर्ष 2011–12 के दौरान इंगित किये गये 33 प्रकरणों में ₹ 9 लाख की राशि वसूल की गई ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें ₹ 32.30 लाख की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

7.3 मनोरंजन शुल्क का कम आरोपण

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 मई 2008 के अनुसार, चलचित्रों विडियों कैसेट रिकार्डर तथा केबल सेवा को छोड़कर, किसी अन्य मनोरंजन में प्रवेश हेतु प्रत्येक भुगतान के सम्बंध में संग्रहीत राशि के 20 प्रतिशत की दर से मनोरंजन शुल्क निर्धारित किया गया था ।

हमने सहायक आबकारी आयुक्त (ए.ई.सी.) इंदौर के कार्यालय में विभिन्न मनोरंजनों के संचालकों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों से अवलोकित किया (नवम्बर 2010) कि 7 अगस्त 2009 से 31 अक्टूबर 2010 की अवधि के दौरान ट्रेजर आइलैण्ड मल्टीप्लैक्स, इंदौर में स्थित गैलेक्सी एण्टरटेनमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (जी.ई.सी.एल.) द्वारा संचालित वीडियों गेम आरकेड में प्रवेश हेतु दर्शकों से ₹ 2.14 करोड़ की राशि संग्रहीत की गई जिस पर ₹ 35.67 लाख[2] का मनोरंजन शुल्क देय था । तथापि, यह देखा गया कि राज्य शासन द्वारा 4 सितम्बर 2006 को ट्रेजर आइलैण्ड मल्टीप्लैक्स काम्पलैक्स को मनोरंजन शुल्क के भुगतान से प्रदान की गई छूट का लाभ लेते हुए संचालक द्वारा मात्र ₹ 12.54 लाख का भुगतान किया गया । हमने अवलोकित किया कि छूट अनुमत्य नहीं थी क्योंकि वीडियों गेम आरकेड में उपलब्ध कराये गये मनोरंजन पर मनोरंजन शुल्क मई 2008 में प्रारम्भ किया गया था । अतः शुल्क की शेष राशि ₹ 23.13 लाख को वसूल करने के लिए कार्रवाई की जानी वांछित थी, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

हमने आगे जनवरी 2012 में अवलोकित किया कि मनोरंजन शुल्क की राशि ₹ 4.12 लाख का भुगतान देय राशि ₹ 8.24 लाख[3] के विरूद्ध आगामी अवधि नवम्बर 2010 से मार्च 2011 हेतु संग्रहीत राशि ₹ 49.43 लाख पर किया गया था । विभाग ने शेष राशि ₹ 4.12 लाख को वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.25 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, सहायक आयुक्त आबकारी ने बताया (जनवरी 2012) कि मनोरंजन शुल्क ₹ 23.13 लाख को जमा करने के लिए सितम्बर 2011 में संचालक को नोटिस जारी किया जा चुका है । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि ₹ 4.12 लाख की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

---

2 देय मनोरंजन शुल्क = टिकटों का विक्रय मूल्य * शुल्क की दर/(100+शुल्क की दर)
= ₹ 214 लाख×20÷120 ₹ 35.67 लाख ।

3 ₹49.43 लाख × 20 ÷ 120 ₹ 8.24 लाख

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2012); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

7.4 सिनेमा गृहों पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 में प्रावधान है कि जहाँ किसी सिनेमा हॉल में सिनेमेटोग्राफिक प्रदर्शन किये जाते हैं, सिनेमा हॉल में प्रवेश दिये गये व्यक्तियों को प्रदान की गई सुविधाओं के लिए प्रभारित किये गये दो रूपये प्रति टिकट से अनधिक राशि पर कोई शुल्क आरोपित नहीं किया जायेगा । प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण और उन पर किये गये व्यय की राशि चार्टर्ड अकाउन्टेंट (सी.ए.) से सत्यापित करवाकर सिनेमा हाल के मालिक द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून तक सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत करनी होगी । यदि कलेक्टर प्रदान की गई सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है तो वह सुविधाएं प्रदान करने के लिए मान्य की गयी राशि के सम्बंध में सिनेमा गृह के मालिक से शुल्क वसूल कर सकेंगे । आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार, सी.ए. द्वारा सत्यापित सुविधाओं तथा उन पर व्यय की गई राशि का विवरण प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में, सिनेमा हॉल के मालिक से टिकट की पूर्ण राशि पर मनोरंजन शुल्क वसूल किया जायेगा।

हमने सहायक आबकारी आयुक्त, भोपाल, सागर तथा जिला आबकारी अधिकारी, शिवपुरी को सिनेमा गृहों के मालिकों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों से अवलोकित किया (मई तथा नवम्बर 2011 के मध्य) कि 17 सिनेमागृहों के मालिकों ने सिनेमा गृहों में दर्शकों को सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2009 तथा मार्च 2011 के मध्य टिकटों की विक्री से ₹ 24.50 लाख संग्रहीत किये । यद्यपि, इन सिनेमा गृहों के मालिकों द्वारा (लेखापरीक्षा के दिनांक तक) सहायक आयुक्त आबकारी/ जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से सी.ए. द्वारा सत्यापित सिनेमा हॉल में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण तथा उन पर व्यय के लेखाओं को कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया था, संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ने दर्शकों को सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए संग्रहीत राशि पर मनोरंजन शुल्क आरोपित करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.05 लाख के मनोरंजन शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, सहायक आबकारी आयुक्त, भोपाल तथा सागर ने बताया (सितम्बर तथा नवम्बर 2011) कि प्रकरण वाणिज्यिक कर विभाग के ध्यान में

लाया जायेगा, जबकि जिला आबकारी अधिकारी, शिवपुरी ने बताया (मई 2011) कि नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी । उनके उत्तरों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि निर्धारित अवधि के भीतर सम्यक रूप से सत्यापित व्यय लेखाओं के प्राप्त न होने की स्थिति में मनोरंजन शुल्क वसूल करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2013) ।

हमने जुलाई तथा दिसम्बर 2011 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

ख. विद्युत पर कर एवं शुल्क

7.5 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव ऊर्जा विभाग के प्रमुख हैं तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक को विद्युत पर करों एवं शुल्कों के संग्रहण का कार्य सौंपा गया है । विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण कार्य हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक की सहायता के लिये दो अधीक्षण यंत्री (अ.यं., विद्युत सुरक्षा), जिला स्तर पर सात संभागीय विद्युत निरीक्षक (सं.वि.नि., विद्युत सुरक्षा) तथा उप संभागीय स्तर पर 34 सहायक विद्युत निरीक्षक होते हैं । वे विद्युत तथा विद्युत संस्थापनाओं के कैप्टिव तथा गैर–कैप्टिव उपभोक्ताओं के सम्बंध में शुल्क, उपकर तथा निरीक्षण फीस के आरोपण तथा संग्रहण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है ।

विभाग द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं का अनुपालन किया जाता है :

- भारतीय विद्युत (भा.वि.) अधिनियम, 1910 (2003 में संशोधित);
- भारतीय विद्युत (भा.वि.) नियमावली, 1956;
- मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क (मप्रविशु) अधिनियम, 1949 तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियम; तथा
- मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1981

7.6 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान विद्युत पर करों एवं शुल्कों की वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि में कुल कर प्राप्तियों सहित आगामी तालिका तथा रेखा ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता(+)/ कमी(-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियों का प्रतिशत
2007–08	832.00	626.08	(-) 205.92	(-) 24.75	12,017.64	5.21
2008–09	900.00	343.06	(-) 556.94	(-) 61.88	13,613.50	2.52
2009–10	1,000.00	2,146.49	(+) 1146.49	(+) 114.65	17,272.77	12.43
2010–11	1,090.00	1,476.32	(+) 386.32	(+) 35.44	21,419.33	6.89
2011–12	1,370.00	1,773.32	(+) 403.32	(+) 29.44	26,973.44	6.57

(स्रोत: मध्य प्रदेश शासन के बजट अनुमान तथा वित्त लेखे)

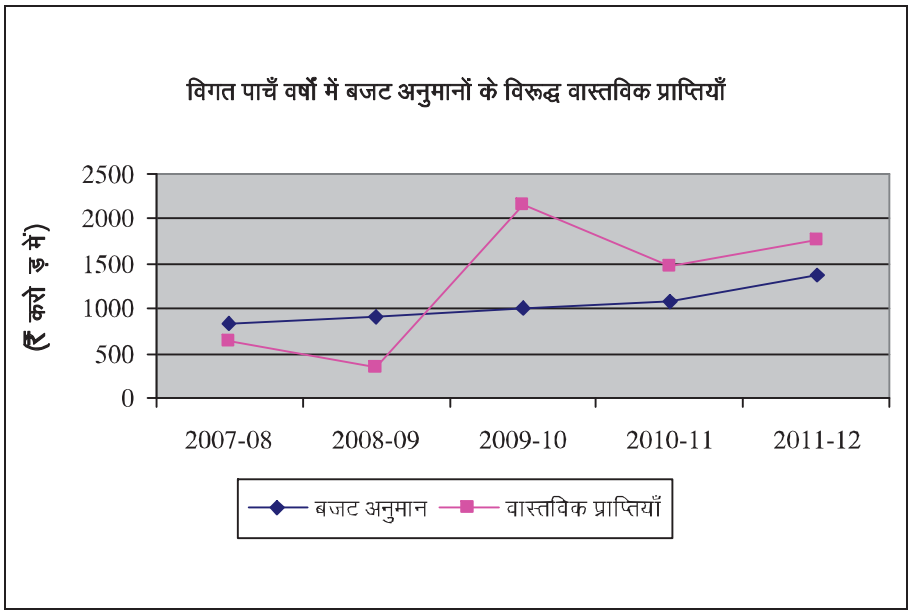

वर्ष 2011–12 में, विद्युत पर कर एवं शुल्क से प्राप्त कर संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 20.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई विभाग द्वारा जिसका कारण म.प्र. वितरण कम्पनियों से लंबित बकाया राशि प्राप्त होना बताया गया।

7.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

विभाग ने प्रतिवेदित किया (अगस्त 2012) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई है ।

7.8 लेखापरीक्षा का प्रभाव

7.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 7,44,491 प्रकरणों में ₹ 1,963.31 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित विद्युत शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, अवनिर्धारण आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने 74,071 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 1,166.97 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और तत्पश्चात ₹ 1,145.67 करोड़ वसूल किये गये (30 नवम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार)। विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आपत्ति		स्वीकृत		वसूली		वसूली प्रतिशत स्वीकृत पर
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	
2006–07	3	3,506	1.53	2,693	0.10	निरंक	निरंक	निरंक
2007–08	6	1,83,618	17.25	55,288	5.58	निरंक	निरंक	निरंक
2008–09	4	2,27,987	8.36	15,600	7.21	01	1.13	15.67
2009–10	8	90,515	1,683.49	261	1,151.13	96	1,144.39	99.41
2010–11	5	2,38,865	252.68	229	2.95	94	0.15	5.08
कुल		**7,44,491**	**1,963.31**	**74,071**	**1,166.97**	**191**	**1,145.67**	

वर्ष 2009–10 में स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत 99.41 प्रतिशत था जबकि अन्य वर्षों में यह बहुत कम शून्य से 15.64 प्रतिशत के मध्य रहा ।

7.8.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, हमने ₹ 569.82 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित, विद्युत संस्थापनाओं पर शुल्क एवं शास्ति के अनारोपण के कारण राजस्व हानि, प्रतिभूति जमा राशि प्रावधान न होने के कारण राजस्व हानि, गलत दर लागू किये जाने के कारण शुल्क का कम आरोपण/वसूली आदि के प्रकरणों को इंगित किया था । विभाग ने ₹ 549.35 करोड़ की चार कंडिकाओं को स्वीकार किया तथा दो कंडिकाओं में ₹ 84 लाख वसूल किये जैसा कि आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकार की गई कंडिकाओं की संख्या	स्वीकार की गई कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	उन कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.2012 तक वसूल की गई राशि
2006–07	1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2007–08	4	1.94	1	0.41	1	0.008
2008–09	2	1.80	1	0.83	1	0.83
2009–10	1 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	562.60	1 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	547.64	निरंक	निरंक
2010–11	3	3.48	1	0.47	निरंक	निरंक
योग	**11**	**569.82**	**4**	**549.35**	2	**0.84**

स्वीकार किये गये प्रकरणों की तुलना में, वर्ष 2008–09 को छोड़कर, वसूली की राशि या तो निरंक या अत्यंत कम थी ।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकार किये गये प्रकरणों में वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिये उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिये ।

7.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान विद्युत पर कर एवं विद्युत शुल्क से संबंधित सात इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 3,94,942 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 25.42 करोड़ के विद्युत शुल्क के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जिन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	2,83,299	1.54
2.	अन्य प्रेक्षण	1,11,643	23.88
योग		**3,94,942**	**25.42**

वर्ष के दौरान, विभाग ने वर्ष 2010–11 के दौरान, लेखापरीक्षा में इंगित किये गये प्रकरणों में से ₹ 21.30 करोड़ के 60 प्रकरणों में अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिनमें ₹ 35 लाख की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

7.10 विद्युत शुल्क की कम प्राप्ति

जैसा कि मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 में परिभाषित किया गया है, "खान" के अन्तर्गत वह परिसर अथवा मशीनरी सम्मिलित है जो खान में या उससे लगे हुए स्थान पर स्थित है तथा जिसका उपयोग माल को तोड़ने, रूपान्तरित करने, व्यवहार में लाने या उसको परिवहित करने में किया जाता है। अधिनियम में सीमेंट उद्योग की कैप्टिव खानों को छोड़कर, खानों में उपभोग की गई ऊर्जा विभाग की राशि पर 40 प्रतिशत की दर से शुल्क आरोपित किये जाने का प्रावधान है।

हमने संभागीय विद्युत निरीक्षक (विद्युत सुरक्षा) ग्वालियर के कार्यालय में लेजरों की नमूना जांच के दौरान अवलोकित किया (मार्च 2012) कि मार्च 2009 एवं फरवरी 2010 के मध्य खनन गतिविधियों में संलग्न सात उपभोक्ताओं के प्रकरण में खनन गतिविधियों हेतु आरोपणीय 40 प्रतिशत शुल्क के स्थान पर, औद्योगिक उद्देश्यों हेतु लागू 3.5 प्रतिशत से आठ प्रतिशत की दर से गलत ढंग से शुल्क आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 35 लाख के शुल्क की कम प्राप्ति हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा बताया (जनवरी 2013) कि ₹ 35 लाख की माँग सृजित करने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं ।

7.11 निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई

भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 141 के तहत, यदि किसी विद्युत संस्थापना का स्वामी नियम के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह प्रत्येक उल्लंघन के लिये ₹ 300 तक की शास्ति के भुगतान का दायी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो वह उल्लंघन रहने तक ₹ 50 प्रतिदिन अतिरिक्त शास्ति के भुगतान का दायी होगा। ऊर्जा विभाग द्वारा फरवरी 1987 में (विधि विभाग की सलाह के आधार पर) जारी अनुदेशों के अनुसार, प्रकरणों को न्यायालय में दर्ज कराने के बाद ही न्यायालय द्वारा शास्ति अधिरोपित की जा सकती है।

पांच इकाइयों[4] में किये गये निरीक्षणों से सम्बंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों की नमूना जांच के दौरान (जनवरी 2012 तथा मार्च 2012 के मध्य) हमने अवलोकित किया कि 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान मध्यम एवं उच्च वोल्टेज विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण करते समय निरीक्षकों ने निरीक्षण हेतु

[4] मु.वि.नि., वि.सु., भोपाल, उ.मु.वि.नि., वि.सु.जबलपुर, सं.वि.नि., वि.सु.छिंदबाड़ा, रीवा और ग्वालियर।

नियत 1,50,477 संस्थापनाओं में से निरीक्षण की गई सभी 48,025 संस्थापनाओं में सामान्य सुरक्षा आवश्यकताओं से सम्बंधित नियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन होना पाया । उपभोक्ताओं तथा मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों को उल्लंघनों का सुधार करने तथा अनुपालन प्रतिवेदित करने के अनुदेशों के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये । तथापि, हमने पाया कि या तो उपभोक्ताओं से या मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों से अनुपालन प्रतिवेदन अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे ।

इसी प्रकार की एक कंडिका (2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक 8.3) लोक लेखा समिति द्वारा विभाग द्वारा दिये गये इस मौखिक साक्ष्य के आधार पर निराकृत की गई थी कि शास्ति आरोपित नहीं की जा रही थी । क्योंकि निरीक्षणों के दौरान पाये गये उल्लंघनों को बाद में उपभोक्ताओं द्वारा सुधार लिया जाता है । विभाग ने आगे लोक लेखा समिति को स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा उल्लंघनों का सुधार करने के लिए एक माह की अवधि दी जाती है । लोक लेखा समिति के निर्णय का उल्लेख करते हुए विभाग ने वर्तमान लेखापरीक्षा कंडिका को निराकृत करने का अनुरोध किया (जनवरी 2013) क्योंकि इसमें भी यह विषय अंतर्निहित था ।

अनुपालन को साक्ष्यांकित करने वाले अभिलेखों के अभाव में, हम इस बात से आश्वस्त नहीं हो सके कि विभाग अनुपालन का परिवीक्षण कर रहा था तथा उन प्रकरणों में जहाँ एक माह की अनुमत्य अवधि में सुधार नहीं किया गया था, आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी ।